न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

प्राथमिक डिक्री

अनावान

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. प्रवीण चौधरी पुत्र जेठाराम<br>2. महेन्द्रसिंह चौधरी पुत्र जेठाराम<br>3. श्रीमती मायादेवी पत्नि जेठाराम जातियान जाट निवासी हरूपोणियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर। | बनाम | 1.हरजीराम पुत्र गंगलाराम जाति जाट निवासी हरूपोणियों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार बाड़मेर। |

दावा बाबत् 53, 88, व 188 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बरः– 37 / 2021
निर्णय दिनांक :– 13.4.2022

वकील वादीगण एवं वादीगण की उपस्थिति तथा प्रतिवादीगण की अनुउपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.04.2022 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा हरूपोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 39 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 52.15 बीघा कुल रकबा 53.09 बीघा मे वादीगण कर्म संख्या 01 से 03 को 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 01 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर हिस्सा अनुसार को मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भूमि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1000/–निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 13.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4 ...... कार्य पर प्लीडर की फीस<br>5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6 कमिश्नर की फीस<br>7 आदेपिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्सप<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेपिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

...Abhiyan.docx